SITAPUR POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्ट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

भ्रामक पोस्ट से माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम, अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांकः-18.09.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक एवं भ्रामक पोस्ट प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही एवं गिरफ्तारी के संबंध निर्देशित किया गया है-

उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 18.09.26 को थाना रेउसा पुलिस द्वारा **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर "प्रेम वाजपेई पत्रकार रेवसा" नामक आईडी द्वारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की एक आपत्तिजनक फोटो (माला चढ़ी हुई एवं विवादित कैप्शन के साथ) पोस्ट की गई थी। इस प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने से जनभावनाएं आहत होने तथा शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के दृष्टिगत तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना रेउसा पर मु0अ0सं0 382/26 धारा 352/353(2)196(2) BNS पंजीकृत कर अभियुक्त प्रेम बाजपेई पुत्र स्व0 पुत्तीलाल बाजपेई निवासी कस्बा व थाना रेउसा सीतापुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः- **प्रेम बाजपेई पुत्र स्व0 पुत्तीलाल बाजपेई निवासी कस्बा व थाना रेउसा सीतापुर**

पंजीकृत अभियोगः- **मु0अ0सं0 382/26 धारा 352/353(2)196(2) BNS थाना रेउसा सीतापुर**

पुलिस की अपीलः- **सभी नागरिकों से अपील करता है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक, अथवा धार्मिक व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट या सामग्री शेयर न करें। सोशल मीडिया गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है और नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।**

उत्तर प्रदेश पुलिस